सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30-8-19

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 188 व 53 आरटीए के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादीगण 1 ता 70 के विरूद्व मौजा रोही पांचू तहसील नोखा में स्थित संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 1 ता 16 कुल किता 16 तादादी 32.68 हेक्टर भूमि में स्व्यं का 1/20 तथा अपनी बहस स्व. सरताज का 1/20 हिस्से की धाषणा, विभाजन तथा चिरनिषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। जिस पर परीक्षण न्यायालय द्वारा जमाबन्दी में वादी के दर्ज हिस्से के मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गई। जबकि उक्त आदेश से केवल मात्र वादी का हिस्सा विभाजित होता है शेष सहखातेदारों का हिस्सा अविभाजित रह जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाट्स का कथन है कि चूंकि वादग्रस्त भूमि पर सहखातेदारों का हिस्सा सामलाती रह गया ऐसी स्थिति में सहखातेदारों को काऊण्टर क्लेम पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों की तामील की समुचित कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र प्रकरण को निपटाने के उद्वेश्य मात्र से कानूनी प्रकिया को नजरअंदाज किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि वादी ने अपने वादपत्र में अपनी बहनसरताज को मृतक और स्वयं को उसका एकमात्र वारिस होने का कथन किया है तथा साथ ही मौखिक वसीयत उसके पक्ष में करने का कथन दावे में किया है। उक्त कथन अपने आप में विरोधाभासी है क्योंकि जब सरताज का वादी के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है तो ऐसी स्थिति में मौखिक वसीयत करने की कहॉ जरूरत थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के कथन के अनुसार निर्णय पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी व कर्मचारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने के कारण व पक्षकारों की विधिवत तामील नहीं करवाये

बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जाने के कारण निर्णय की जानकारी समय पर प्राप्त नहीं हो पाई। जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब का शमन करते हुए अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2018 पार्ट I पेज 601, आरआरटी 2004 पार्ट I पेज 374 व आरआरटी 2002 पार्ट I पेज 403 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि ग्राम पाचूं के खसरा नम्बर 1 की 3.77 हेक्टर, खसरा नम्बर 2 की 4.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 3 की 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 4 की 4.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 5 की 1.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 6 की 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 7 की 1.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 8 की 1.56 हेक्टर, खसरा नम्बर 9 की 2.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 10 की 1.81 हेक्टर, खसरा नम्बर 11 की 1.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 12 की 1.83 हेक्टर, खसरा नम्बर 13 की 3. 53 हेक्टर, खसरा नम्बर 14 की 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 15 की 0.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 16 की 3. 66 हेक्टर कुल किता 16 तादादी 32.68 हेक्टर भूमि में से वादी के हिस्से की 3.2680 हेक्टर व मु0 सरताज का एक मात्र जायज वारिस होने के कारण उनके 1/20 हिस्से की हद तक उनके कब्जे काश्त व जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस खाता विभाजन करने की प्राथमिक डिक्री जाकरी करने व राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान कराने हेतु इस्तदुआ की किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सभी प्रतिवादीगणों को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 51 ता 55 की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित आये तथा शेष प्रतिवादीगण को तलब किये जाने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आगे कथन किया गया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान जमबान्दी संवत् 2068/2071 के अनुसार खाता संख्या 23 में दर्ज कुल रकबा 32.69 हेक्टर में से वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 2/30 हिस्स पृथक किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है तथा साथ ही तहसीलदार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नोखा को निर्देशित किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी के खेतों में अवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अच्छी से अच्छी व बुरी सु बुरी भूमि को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। अपीलांट को यदि किसी हिस्से विशेष को लेकर आपत्ति है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतिम डिक्री जारी करने के समय अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मियांद के बिन्दु पर कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–01–2019 के विरूद्व अपील दिनांक 10–05–2019 का पेश की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे संतोषजनक कारण नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने कथन के समर्थन में आरओजे 2016 पेज 20, आरआरटी 2015 पार्ट I पेज 233, आरएलडब्ल्यू 2007 पार्ट I पेज 294, आरबीजे 1999 पेज 54, आरआरटी 2014–15 स्प. पेज 142 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्स/रेस्पोडेन्ट्स के संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों का टाईटल उक्त निर्णय का भाग होगा। प्रकरण में पक्षकार अत्याधिक संख्या में होने के कारण प्रत्येक पक्षकार पर व्यक्तिशः तामील संभव नहीं होने के कारण व व्यथित पक्षकार पर तामील समुचित होने व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने के पश्चात् अपील का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, सभी पक्षकारों पर व्यक्तिशः तामील न होने तथा पक्षकारों की संख अधिक होने के कारण निर्णय की जानकारी विलम्ब से होना स्वाभाविक है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आआरटी 2018 पार्ट I पेज 601 में अभिनिर्धारित किया गया है कि विलम्ब का शमन–अपील पेश करने में अपीलांट की लापरवाही आरोपित न हो तो उदार अर्थन्वयन लेना चाहिए जिससे सारभूत न्याय दिया जा सके, प्रकरण पर चस्पा होती है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब का श्मान किया जाकर अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट्स ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पक्षकारों को नोटिस तामील की प्रकिया दुषित होने, वादी/रेस्पोडेन्ट की बहन के हिस्से की वसीयत रेस्पोडेन्ट/वादी कानाराम के पक्ष मं करने, लेण्ड होल्डर का जवाबदावा न लेने आदि तकनीकी आधारों पर अपीलाधीन आदेश को चुनौती दी है। वादपत्र में प्रतिवादीगण की संख्या 70 होने के कारण व्यक्तिशः तामील के प्रयासों के उपरान्त शेष रहे पक्षकारों को पंजीकृत डाक से सम्मन भेजे गये तथा इसके उपरान्त वैकल्पिक तामील के रूप में अखबार में साया करवाया गया। परीक्षण न्यायालय ने जमाबन्दी में वादी के हिस्से के मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की है। अपीलांट्स का कथन है कि केवल वादी का हिस्स विभाजित कर देने से शेष सहखातेदारों का हिस्सा सामलाती रह गया है जिसके लिये काऊण्टर क्लेम कां मौका नहीं दिया गया।

चूंकि परीक्षण न्यायालय के समक्ष केवल वादी ने अपना हिस्सा अलग करने के लिये दावा पेश किया था तथा शेष सहखातेदारों ने अपना जवाब व काऊटर क्लेम पेश नहीं किया। अतः वादपत्र में वादी के दर्ज हिस्से के अनुसार ही प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है। विवादित आराजी के सहखातेदारों की संख्या 60 से भी अधिक होने के कारण न्यायालय का यह दायित्व था कि काश्तकारों के हितो का ध्यान खते हुए सभी सहखातेदारों के हिस्से एवं मौके पर कब्जे के मुताबिक बंटवारा करने की डिक्री पारित की जाती, परन्तु न्यायालय ने एक ही दृष्टिकोण रखते हुए केवल वादी के हिस्से की सीमा तक विभाजन की डिक्री पारित की गई है।

अतः अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23–01–2019 में दर्ज वादग्रस्त भूमि ग्राम पाचूं के खसरा नम्बर 1 की 3.77 हेक्टर, खसरा नम्बर 2 की 4.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 3 की 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 4 की 4.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 5 की 1.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 6 की 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 7 की 1.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 8 की 1.56

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हेक्टर, खसरा नम्बर 9 की 2.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 10 की 1.81 हेक्टर, खसरा नम्बर 11 की 1.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 12 की 1.83 हेक्टर, खसरा नम्बर 13 की 3.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 14 की 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 15 की 0.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 16 की 3.66 हेक्टर कुल किता 16 तादादी 32.68 हेक्टर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के मुताबिक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 के प्रावधनों के तहत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी नोखा के समक्ष पेश करें। पक्षकारों को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 04–10–2019 को उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर